न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री संजीव कुमार खेदर, आर ए एस
प्रार्थना पत्र संख्या :— 16/2025

उनवान

1. अक्सीत सूद पुत्र श्री यशपाल सूद, जाति महाजन निवासी पपरोलास तहसील बैजनाथ जिला कांगड़ा हिमाचलप्रदेश
2. अभिषेक पालिवाल पुत्र अशोक पालिवाल जाति ब्राहम्ण निवासी म0नं0 जीएफ—2 श्री कृष्णा अपार्टमेन्ट कॉलोनी नरेन्द्र नगर स्वेज फार्म न्यू सांगानेर रोड जयपुर जिला जयपुर
3. गार्गी पालीवाल पुत्र अशोक पालीवाल जाति ब्राहम्ण निवासी म0नं0 जीएफ—2 श्री कृष्णा अपार्टमेन्ट कॉलोनी नरेन्द्र नगर स्वेज फार्म न्यू सांगानेर रोड जयपुर जिला जयपुर

—प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील—शाहपुरा जिला जयपुर
2. प्रभूदयाल पुत्र. शिवनाथि
3. मुकेश पुत्र कालूराम
4. सुरजमल पुत्र शिवनाथ
5. सीताराम पुत्र शिवनाथ
6. नरेन्द्र खटाणा पुत्र श्री रूडमल
7. नाथूराम गुर्जर रूडमल
8. रामसिंह पायला पुत्र सुल्तान पायला
9. सुरेन्द्र पायला पुत्र सुल्तान पायला
10. सायरसिंह गुर्जर पुत्र रूडमल
11. हरिराम पायला पुत्र सुल्ताना पायला
    समस्त जाति गुर्जर निवासी सुराणा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर
12. कृष्णा देवी पत्नि हरिराम गुर्जर
13. झाबरमल जाट पुत्र बोदूराम जाट
14. रोताश देवी गुर्जर पत्नि सायरसिंह गुर्जर
    . समस्त निवासी सुराणा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

—अप्रार्थीगण

15 निलेश कंवर पुत्री नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी सुराणा तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर।

—तरतीबी अप्रार्थी

प्रा0 पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956

निर्णय दिनांकः 25/6/25

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आ0 ख0 न0 1055 रकबा 0.78 है0, वाकै ग्राम सुराणा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, तथा आराजी खसरा नम्बर 1056 रकबा 0.80 है0 वाके ग्राम सुराणा तहसील शाहपुरा में स्थित है जिसके प्रार्थीगण व तरतीबी प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है तथा उक्त आराजी पर प्रार्थीगण व तरतीबी प्रार्थी अपने दर्ज हिस्से अनुसार काबिज रहकर कास्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी की उक्त वर्णित खातेदारी भूमि से अथवा उसके किसी भाग से अप्रार्थी सं०—2 लगायत 14 का कभी कोई सम्बन्ध व हक अधिकार नहीं है लेकिन अप्रार्थी सं0—2 लगायत 14 की भूमि प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगती हुई होने के कारण सींव, डौल का विवाद करते रहते है इस कारण प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के जिमन नं0—1 में वर्णित अपनी खातेदारी भूमि का अप्रार्थी सं0—1 श्रीमान् तहसीलदार—शाहपुरा, जिला जयपुर के आदेश क्रमांक सीमाज्ञान / 2024/64 दिनांक 05.11.2024 की पालना में सक्षम राजस्व कर्मचारी व अधिकारियो ने खातेदारान व

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला—जयपुर (राज.)

उपस्थित व्यक्तियो की उपस्थिति में दिनांक–08.11.2024 को हाल आराजी खसरा नं0–1055 रकबा 0.78 हैक्टर एवं हाल आराजी खसरा नं0–1056 रकबा 0.80 हैक्टर वाकै ग्राम सुराणा,तहसील–शाहपुरा, जिला जयपुर का सक्षम राजस्व कर्मचारी व अधिकारियो से खातेदारान व उपस्थित व्यक्तियो की उपस्थिति में सीमाज्ञांन भी करवा लिया है फर्द मौका सीमाज्ञांन दिनांक–08.11.2024 संलग्न प्रार्थना पत्र है। उक्त सीमाज्ञान कराने के बाद अप्रार्थी सं०–2 लगायत 14 प्रार्थीगण से वैमनस्यता रखने लग गये है और उक्त सीमाज्ञान को मानने से अप्रार्थी सं0–2 लगायत 14 ने इन्कार कर दिया है तथा सींव, डोल का विवाद करने लग गये है जिस कारण प्रार्थीगण को उक्त अपनी खातेदारी भूमि की स्थायी सीमा चिन्ह (पत्थरगढी) करवाया जाना आवश्यक हो गया है। जिसके लिये प्रार्थी ने अप्रार्थी सं0–1 तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर से स्थायी सीमा चिन्ह कायम करने हेतु निवेदन किया तो उन्होने न्यायालय श्रीमान् के आदेश पर ही प्रार्थी की उक्त भूमि की पत्थरगढी करने की कही इस पर बिना किसी देरी के उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थी की प्रार्थना पत्र के जिमन नं0–1 में वर्णित खातेदारी भूमि के स्थायी सीमा चिन्हे के लिए प्रस्तुत है।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 9.6.2025 को अप्रार्थी सं. 4 की ओर से श्री रणवीर चौधरी ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थीगण के द्वारा चारो दिशाओं के खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा तरतीवी अप्रार्थीगण वरवक्त सीमाज्ञान उपस्थित नहीं होने से तथा न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से कानूनी प्रावधानो की पूर्ति नहीं करने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे । प्रकरण हेतु नीयत किया जाकर वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया । पत्रावली का अवलोकन किया गया। हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो, एवं फर्द मौका सीमाज्ञान का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सींव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहती है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है। प्रार्थीया के भूमि की मौके पर पत्थरगढी नही होने व असंतुष्ट होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि हाल आ0 ख0 न0 1055 रकबा 0.78 है0, खसरा नम्बर 1056 रकबा 0.80 है0 वाके ग्राम सुराणा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए एवं कब्जे से संबंधित विवाद होने पर कब्जा सुपुर्द नही करते हुए उनकी उपस्थिति में खातेदारी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 8.11.2024 के अनुसार यदि पूर्व में पत्थरगढी नही हुई हो तो पत्थरगढी करवाये जाने का तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25/6/25 को सरै इजलास सुनाया गया ।

(संजीव कुमार)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)